तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
05/05/2025	पीठासीन अधिकारी राजकीय कार्य/ अवकाश में होने से पत्रावली दिनांक 21/5/25 को पेश हो [signature] रीडर	
21/5/25	पीठासीन अधिकारी राजकीय कार्य/ अवकाश में होने से पत्रावली दिनांक 4/6/25 को पेश हो [signature] रीडर	
4/6/2025	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उभयपक्ष अनुपस्थित। प्रार्थी को न्यायालय समय में रुक रुककर तीन बार आवाज लगाई गई लेकिन कोई उपस्थित नहीं हुआ। न्यायालय का समय समाप्त हो रहा है, अतः वाद सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 9 नियम 8 के तहत अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज किया जाता है, पत्रावली खारिज शुमार होकर नंबर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो। [signature]	

09-02-2012

सेवामें,

श्रीमान न्यायालय उपखण्ड अधिकारी महोदय

लोहावट।

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :–

प्रार्थीगण

1. सुरताराम पुत्र हरीराम
2. जगदीश पुत्र हरीराम
3. बाबुराम पुत्र हरीराम
4. हुकमाराम पुत्र हरीराम
5. गोकलराम पुत्र हरीराम
6. मानाराम पुत्र हरीराम
7. जगरूपाराम पुत्र देवाराम
8. जोराराम पुत्र देवाराम
9. बगडुराम पुत्र देवाराम
10. बिरबलराम पुत्र देवाराम
11. सुशीला पत्नि मनोहरलाल

सभी जाति विश्नोई निवासी लाखेटा तहसील बापिणी जिला जोधपुर राज

बनाम

अप्रार्थीगण

1. तहसीलदार बापिणी जरीये भूमिधारी राजस्थान सरकार

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131,132, 136 भू–राजस्व अधिनियम</u>

<u>मौका अनुसार तरमीम करवाने बाबत।</u>

महोदयजी,

प्रार्थीगण की ओर से निवेदन है कि –

1. यह है कि प्रार्थीगण की अलग अलग बटटा नम्बरान में खातेदारी भूमि तहसील बापिणी के पटवार मण्डल मतोड़ा के राजस्व ग्राम लाखेटा में प्रार्थी संख्या 01

सुशीला सुरताराम बीरबलराम जगरूपाराम जोराराम अ० नि० गोकलराम अ० नि० हुकमाराम मानाराम अ० नि० बाबुराम बगडूराम

के नाम खसरा नम्बर 859 रकबा 0.4452 हैक्टेयर व प्रार्थी संख्या 01 व प्रार्थी संख्या 2 व 03 की सयुक्त खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 859/2 रकबा 0.1295 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 859/4 रकबा 0.0486 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 859/5 रकबा 1.1574 हैक्टेयर, एवं प्रार्थी संख्या 1 ता 4 व 7 ता 08 की सयुक्त खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 859/3 रकबा 0.0405 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 859/6 रकबा 0.5342 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 859/9 रकबा 0.4047 हैक्टेयर, प्रार्थी संख्या 11 की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 859/7 रकबा 0.3581 हैक्टेयर, एवं प्रार्थी संख्या 8 की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 837/1 रकबा 1.1898 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 837/5 रकबा 0.5342 हैक्टेयर, प्रार्थी संख्या 10 की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 837/3 रकबा 1.1655 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 837/6 रकबा 0.0809 हैक्टेयर प्रार्थी संख्या 07 की खातेदारी भूमि खसरा न[illegible] 837/4 रकबा 1.7321 हैक्टेयर, प्रार्थी संख्या 01 ता 03 व 11 की खातेदारी भूमि 837/2 रकबा 0.9712 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 837/7 रकबा 2.7680 हैक्टेयर, प्रार्थी संख्या 01 ता 10 की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 837/9 रकवा 0.6880 हैक्टेयर व प्रार्थी संख्या 09 की खातेदारी भूमि खसरा नम्वर 837/10 रकवा 1.2464 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 837/8 रकबा 0.0486 हैक्टेयर भूमि आयी हुई है तथा खसरा नम्वर 837 रकवा 10.5299 हैक्टेयर व खसरा नम्वर 859/8 रकवा 0.0465 हैक्टेयर भूमि सरकार के खाते में दर्ज है। उपरोक्त की चालू चौसाला जमाबन्दी व नजरी नक्शा सलग्न है।

2. यह है कि उक्त खसरान का मूल खसरा नम्बर 859 व 837 था जिसका विभाजन किये जाने एवं सड़क निकलने से उक्त बटटा नम्बर वर्तमान राजस्व रेकर्ड में दर्ज हुए। तथा राजस्व नक्शा तरमीम की गयी। वर्तमान में ऑनलाईन की गयी तरमीम प्रार्थीगण के कब्जा काश्त से विपरित है मौके अनुसार तरमीम की हुई नही है जिसको मौका अनुसार तरमीम राजस्व नक्शा में सही करवाने के लिए यह प्रार्थना पत्र पेश है।

3. यह है कि उक्त दोनो खसरान के खातेदारान अपनी आपसी सहमति से मौका अनुसार तरमीम को सही करवाकर राजस्व नक्शा में दर्ज करवाना चाहते है ताकि भविष्य में पक्षकारो के मध्य तरमीम को लेकर कोई वाद विवाद पैदा नही हो। इसलिए यह प्रार्थना पत्र. तरमीम दुरूस्ती का पेश है।

सुशीला सुरताराम बीरबलराम

बहादुराम

4. यह है कि उक्त खसरान में प्रार्थीगण को अपने बन्ट अनुसार भूमि राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में दर्ज है ओर अपने बन्ट की भूमि के चारो ओर जाली तारबन्दी खुण्टे रोपकर कब्जा काश्त किया हुआ है ओर कब्जा काश्त अनुसार ही तरमीम करवाने चाहते है। प्रार्थीगण का अपने कब्जा काश्त में नलकुप, पक्के मकान, पानी के टांके, पशुबाड़ा आदी बनाये हुए है ओर अपनी अपनी खातेदारी भूमि का खुण्टे रोपकर जाली तारबन्दी की हुई है।

5. यह है कि उक्त खसरान की भूमि का राजस्व रेकर्ड में राजस्व कर्मचारियो द्वारा तरमीम करते वक्त वादग्रस्त भूमि का बिना मौका देखे राजस्व नक्शा में तरमीम कर दी गयी। यदि मौका देखकर तरमीम की जाती तो राजस्व रेकर्ड में तरमीम सही की जाती इसलिए प्रार्थीगण वर्तमान तरमीम को निरस्त कर तरमीम दुरूस्त करवाना चाहते है। प्रार्थीगण द्वारा उक्त तरमीम को सही करवाने के लिए हल्का पटवारी से दिनांक 31.01.2022 को निवेदन किया गया लेकिन हल्का पटवारी ने तरमीम को दुरूस्त करने से इनकार कर दिया गया। इसलिए प्रार्थीगण को मजबुरन यह प्रार्थना पत्र पेश करना पड़ रहा है।

अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र के पद संख्या 01 में वर्णित खसरान के वर्तमान राजस्व रेकर्ड में की गयी तरमीम को निरस्त कर तहसीलदार बापिणी से मौका रिपोर्ट मंगवायी जाकर प्रार्थीगण के मौके पर कब्जा काश्त अनुसार राजस्व रेकर्ड में तरमीम दुरूस्त किये जाने का आदेश प्रदान करवाया जावें।

दिनांक :– 8/2/22

बीर बलराम

जोराराम

अशोक कुमार (कड़वासरा)
एडवोकेट